न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 03/2016 निगरानी ग्राम पंचायत

1. मदनलाल पुत्र रेवडमल जाति ब्राह्मण(हट्टिका) उम्र 58 वर्ष निवासी उपरला पाडा वार्ड संख्या 24 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।

निगरानीकारान

बनाम

1. रमेश चन्द योगी पुत्र श्रीनारायण योगी जाति योगी निवासी उपरला पाडा वार्ड सं. 24 कस्बा लालसोट जिला दौसा।
2. नगरपालिका लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी।

गैरनिगरानीकारान

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)(क) नगर पालिका अधिनियम 1959 विरूद्ध आदेश नगर पालिका लालसोट दिनांक 6.6.2013 बाबत् पट्टा संख्या 338 दिनांक 12.6.2013 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।)

उपस्थिति :श्री हरिनारायण माठा अधिवक्ता निगरानीकारान उपस्थित।
:पं. रामबाबू शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 2 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 20.06.2023

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की पत्नि शकुन्तला देवी ने वर्ष 1996 में एक प्रार्थना पत्र बाबत् नगरपालिका की पडत आबादी भूमि जिस पर प्रार्थी व उसकी पत्नि का काफी वर्षो से कब्जा है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी ने बाडे व कच्चे घर बना रखे है। इसको नजराने पर लेने के लिये पेश किया था। जिसमे एस. आई. द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 14.3.2002 को किया गया एवं नगरपालिका वार्ड सं. 24 के तत्कालीन पार्षद रामप्रसाद मिश्र की मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं भूमि पर कब्जा होने एवं कब्जाधारी को नजराने पर दिये जाने की अनुशंसा दिनांक 15.3.2002 होने के बावजूद भी उक्त भूखण्ड प्रार्थी की पत्नि को नजराने पर नहीं दिया जाकर प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि एवं सरकारी लैट्रिन एंव डूंगर वाले बालाजी के नीचे बनी हुई पानी की टंकी को रास्ता दिखाकर प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि के पीछे की भूमि को अप्रार्थी रमेश चन्द योगी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि पर राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के अन्तर्गत बिना किसी कानूनी कार्यवाही किये पट्टा सं. 338 दिनांक 6.6.2013 को देने का निर्णय कर दिनांक 12.06.2013 को पट्टा जारी कर दिया। जिसके विरूद्ध निगरानीकार द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख नगरपालिका लालसोट से तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि नगरपालिका लालसोट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अतिक्रमण की गई भूमि पर निर्णय दिनांक 6.6.2013 की अनुपालना में दिनांक 12.06.2013 को जारी किया गया पट्टा संख्या 338 विधि विधान व कानून की सामान्य प्रक्रिया व सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। नगरपालिका लालसोट ने प्रार्थी के कब्जेशुदा भूखण्ड जिसकी पत्रावली नगरपालिका लालसोट में 1996 से विचाराधीन है एवं सरकारी लेट्रिन एवं डूंगर वाले बालाजी के नीचे बनी हुई पानी की टंकी को रास्ता दिखाकर अप्रार्थी संख्या 1 को अतिक्रमण की गई भूमि पर राजस्थान स्टेट ग्रांट एक्ट 1961 के तहत पट्टा संख्या 338 अवैध तरीके से गुपचुप में जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। उक्त पट्टे को जारी करते समय न तो कोई आपत्ति नोटिस विधिवत जारी किये गये एव ंना ही इसकी सूचना पडोसियों को दी गई। ना ही पूर्व आधिपत्य के कोई कागजात अप्रार्थी संख्या 2 से नगरपालिका द्वारा लिये गये। अतिक्रमण की गई भूमि पर बिना नोटिस दिये एवं बिना प्रार्थी की सुनवाई के ही अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी कर दिया गया जो मनमाना एवं ज्यूडिशियल डिस्क्रीशन के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाना चाहिये। प्रार्थी के बाडे व कब्जेशुदा भूखण्ड के पीछे प्रार्थी के भुखण्ड को एवं सरकारी लेट्रिन एवं डूंगर वाले बालाजी के नीचे बनी हुई पानी की टंकी को रास्ता बताते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है। जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित है। राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत अतिक्रमण की गई भूमि का पट्टा कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर निर्णय दिनांक 6.6.2013 नगरपालिका लालसोट के आधार पर दिनांक 12.06. 2013 को राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत अतिक्रमण की गई भूमि पर जारी पट्टा संख्या 338 वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि निगरानीकार मदनलाल द्वारा जिस पट्टा आदेश को चुनौती दी गई है, उस पट्टे के सम्बन्ध में निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, बल्कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार उक्त पट्टे के सम्बन्ध में अपील डायरेक्टर लोकल बाडी राजस्थान जयपुर एवं एडिशनल डायरेक्टर लोकल बाडी राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत निगरानी प्रकरण में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लालसोट की मूल पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा